

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग/जोन कोटा/सा.-70-01261/2024/

दिनांक:-

--: आदेश :-

निम्नलिखित नर्सिंग कार्मिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवानिवृत्त तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	सुसी सी.टी., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	कोटा	24.03.1964	28.12.1985	31.03.2024
2.	कुन्जाम्मा वी.जी., महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	28.05.1964	13.09.1990	31.05.2024
3.	कुन्जमोल टी.के., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	कोटा	20.05.1964	23.11.1987	31.05.2024

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 18/03/2024

क्रमांक : नर्सिंग/जोन कोटा/सा.-70-01261/2024/ 529

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
- संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटा।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref  
6095135

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :16-03-2024 11:12:37